संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक अ.प्रशा./सेल–4/एफ–42–बी/2011/985 भोपाल, दिनांक 04/08/2011

प्रति,

(1) अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा (म.प्र.)

(2) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश

(3) समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषयः–शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) यथा संभव अविलम्ब करने एवं रिपोर्ट यथा संभव शीघ्र जारी करने बाबत्।

संदर्भः–विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना 201

–––00–––

विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना 201 के माध्यम से शव परीक्षण में विलम्ब का मुद्दा उठाया गया है तथा पूर्व में भी शव परीक्षण रिपोर्ट देर से जारी करने सम्बंधी प्रकरण संज्ञान में लाये गये है जिन पर संचालनालय के क्रमांक अ.प्रशा./सेल–4/एफ–42–बी/10/775 दिनांक 30.07.2010 द्वारा प्रचलित मेडिकल मैनुअल के खण्ड 575 में उल्लेखित व्यवस्था से अवगत कराते हुये समस्त पोस्टमार्टम तथा मेडिको लीगल रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र जारी करने हेतु निर्देश दिये गये है।

प्रदेश में प्रचलित मेडिकल मैनुअल में पोस्टमार्टम करने, पोस्टमार्टम की महत्ता एवं प्रकरणों में विवेचनात्मक एवं यथा सम्भव सटीक परीक्षण कर यथा शीघ्र रिपोर्ट जारी करने हेतु, मैनुअल के खण्ड 573, 575 एवं 581 में निम्न व्यवस्था दी गई है :–

"573:- Post-mortem examinations shall be carried out with the least possible delay compatible with careful examination after the arrival of the body at the mortuary.

575:- The attention of medical officers is invited to the extreme importance attaching to post-mortem and other medico-legal examinations and to the necessity of their being as thorough, searching and complete as possible, and to the desirability of a speedy return being made to all requisitions for examination.

581:- The post-mortem report shall be handed over to the Police Constable who brought the body immediately the post-mortem is completed. A duplicate copy of the report shall be sent the same day to the Civil Surgeon. Triplicate copy will be retained in the bound and numbered register of post-mortem forms. The Civil Surgeon may if necessary ask for further information from the Assistant Surgeon or Assistant Medical Officer before making his remarks. Copy of such remarks in each case shall be communicated to the Medical Officer who performs the post-mortem examination."

उपरोक्त के संदर्भ में एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्देश/व्यवस्था जारी की जाती है :–

(i) पुलिस द्वारा शव प्राप्त होने पर शव परीक्षण यथा संभव अविलम्ब किया जाए।

(ii) शव परीक्षण का कार्य जिला स्तर पर एवं स्वास्थ्य केन्द्रो पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के निदेशन में एक या एक से अधिक चिकित्सको द्वारा किया जाए। यदि आवश्यक हो तो एक टीम का गठन भी किया जाए। महिला शव परीक्षण प्रकरणों में इस हेतु गठित टीम में जहां तक संभव हो महिला चिकित्सा अधिकारी को सम्मिलित किया जाए।

(iii) जटिल प्रकरणों में/शव क्षतिग्रस्त होने/सड़–गले (Decomposed) होने के कारण पोस्टमार्टम यदि विशेषज्ञो द्वारा कराये जाना आवश्यक हो तो शव–परीक्षणकर्ता/रेफरकर्ता चिकित्सक के साथ शव सर्वप्रथम क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय भेजा जाए, जहां पर इस विधा में पारंगत विशेषज्ञों की देख–रेख में तथा उनके मार्गदर्शन में रेफरकर्ता चिकित्सक द्वारा शव परीक्षण किया जावेगा। किन्तु शव परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर शव परीक्षण करने वाले जिले के चिकित्सक तथा चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ–दोनो को करना होगे।

(iv) चिकित्सा महाविद्यालय अथवा मेडिको लीगल इस्टीट्यूट भोपाल केवल ऐसे ही प्रकरण शव परीक्षण हेतु भेजे जाए जिनमें जिला स्तर पर कोई अन्तिम मत नही दिया जा सकता हो।

(v) यदि शव को पोस्टमार्टम हेतु मेडिको लीगल इस्टीट्यूट, भोपाल भेजना आवश्यक हो तो :–

- कोई भी शव/प्रकरण बिना सिविल सर्जन के औचित्य पत्र एवं पुलिस अधीक्षक के पत्र के न भेजा जाये।
- रेफरकर्ता चिकित्सक को भी शव के साथ मेडिको लीगल इस्टीट्यूट, भोपाल अनिवार्य रूप से भेजा जाए, ताकि उनके द्वारा मेडिको लीगल संस्थान के विशेषज्ञो के साथ शव परीक्षण कर उनकी शव परीक्षण कठिनाईयों का समाधान हो जाए। इस प्रकार भविष्य में वे (रेफरकर्ता चिकित्सक) अपने कर्तव्य स्थल पर जटिल प्रकरणों में शव परीक्षण हेतु सक्षम हो सकेगे।

(vi) शव परीक्षण उपरान्त संक्षिप्त शव परीक्षण रिपोर्ट पुलिस द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब दी जाए।

(vii) यदि अन्य विस्तृत जांच की आवश्यकता न हो तो विस्तृत शव परीक्षण रिपोर्ट, शव परीक्षण के दो दिवस में जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर/–
(जे.एन. कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक अ.प्रशा./सेल–4/एफ–42–बी/2011/986 भोपाल, दिनांक 04/08/2011

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. संचालक, मेडिको लीगल इस्टीट्यूट, गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर तथा रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. श्री थामस, कम्प्यूटर कक्ष, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर–इसको विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित करें।
10. आदेश फाइल।

हस्ताक्षर/–
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश